



वित्त मंत्रालय

24 राज्यों ने 'राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)' अधिनियम पारित किया, जबकि 7 राज्यों यथा मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल में एसजीएसटी अधिनियम को पारित करना अभी बाकी है

Posted On: 05 JUN 2017 8:30PM by PIB Delhi

24 राज्यों ने आज अर्थात 5 जून, 2017 तक राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) अधिनियम को बाकायदा पारित कर दिया है, जबकि 7 राज्यों यथा मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल में एसजीएसटी अधिनियम को पारित करना अभी बाकी है।

[राज्य जीएसटी अधिनियम को पारित करने वाले राज्यों का ब्यौरा देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें](#)

वीके/आरआरएस/वीके - 1626

(Release ID: 1491851) Visitor Counter : 5

